

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त प्राध्यापक वेतन पे मैट्रिक्स L-12 के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ-15(1)एफ.डी/नियम/2017 दिनांक: 09.12.17 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के प्रावधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किये गये निम्नांकित प्राध्यापकों को कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 05 (vi & vii) एवं अनुसूची 1 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं. 07 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स L-12 एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की व नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या 07 में अंकित), से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर स्थाईकरण किया जाता है ।

क्र. सं.	सैरिट क्रमांक एवं वर्ग	व्याख्याता का नाम मय पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती (राजमावि)	विषय	जन्मतिथि	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण तिथि	स्थाईकरण एवं नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि
1	05, GENM	मुकेश कुमार, आसोप (जोधपुर)	भौतिक	28.08.82	21.07.2015	14.06.2018

नोट:- उक्त कार्मिक द्वारा परीवीक्षाकाल में 'अवैतनिक अवकाश' के रूप में उपभोग किये गये 357 दिन के कारण नियमानुसार इनकी स्थाईकरण तिथि 327 दिन आगे बढ़ाई जाती है।



(नथमल डिडेन)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 21.05.18

क्रमांक: शिदिरा/मा/संस्था/सी-3/प्रो.ट्रे./भौतिक/नियमितिकरण-स्थाईकरण/2015

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, प्रथम, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय ।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जोधपुर/चित्तौड़गढ़ ।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक जोधपुर/चित्तौड़गढ़ ।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
7. संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित कार्मिक ।
8. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग, कार्यालय हाजा ।
9. कम्प्यूटर एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली ।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर